प्रेस नोट
दिनांक 03.03.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा बलवा करते हुए घर में घुसकर मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 अदद वैगनार कार बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा बलवा करते हुए घर में घुसकर मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों–01. ऋषिकेश पुत्र रामफल, 02. आदेश कुमार पुत्र अशोक, 03. अखिलेश कुमार पुत्र स्व0 रामलोटन को ग्राम बाबपुर जाट से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद वैगनार कार बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.03.2025 को थाना को0 देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बालपुर जाट के रहने वाले आदर्श कोहली अपने परिजनों व रिस्तेदार के साथ मिलकर गांव के ही रहने वाले राजकुमार यादव के घर में घुसकर मारपीट की गयी है जिनके कुछ लोगो को आसपास के लोगो द्वारा घर के अन्दर कैद कर लिया गया है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर 03 आरोपी अभियुक्तों–01. ऋषिकेश पुत्र रामफल, 02. आदेश कुमार पुत्र अशोक, 03. अखिलेश कुमार पुत्र स्व0 रामलोटन को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 01 अदद वैगनार कार व ऋषिकेश के कब्जे से 01 अदद अवैध तंचमा 315 बोर बरामद किया गया। वादी राजकुमार यादव पुत्र राम राखन यादव नि0 बालपुर जाट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियुक्त ऋषिकेश पुत्र रामफल को धारा 191(2),115(2),352,351(3),333 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अभियुक्तगण आदेश कुमार व अखिलेश कुमार के विरूद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. ऋषिकेश पुत्र रामफल नि0 लक्ष्मणपुर जाट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. आदेश कुमार पुत्र अशोक कोहली नि0 लक्ष्मणपुर जाट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. अखिलेश कुमार पुत्र स्व0 रामलौटन नि0 रूपईपुरवा सोनहरा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–83/25, धारा 191(2),115(2),352,351(3),333 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 अजय कुमार सिंह।
02. हेड का0 संजीत सिंह।
03. का0 रामदास।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.03.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी होलिका दहन व ईद–उल–फितर त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाए रखने हेतु की सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ की गयी वर्चुअल गोष्ठी, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 03.03.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आगामी होलिका दहन व ईद–उल–फितर त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जनपद के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल गोष्ठी की गयी। गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों को बताया गया कि रमजान माह के दृष्टिगत होलिका दहन/होली/रंगोत्सव पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक तनाव अथवा विवाद उत्पन्न करने के लिए इस अवसर का दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है। संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पुलिस प्रबन्धन के साथ–साथ अत्याधिक सर्तकता/सुरक्षा व्यवस्था बरते जाने की आवश्यकता है। महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने–अपने थाना क्षेत्रांन्तर्गत पड़ने वाले होलिका दहन के स्थान पर स्वयं निरीक्षण कर ले, यदि होलिका दहन के स्थान पर कोई विवाद प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में उसका तत्काल समाधान कर लें तथा जुलूसों के मार्गो का निरीक्षण कर लें। अराजकतत्वों द्वारा त्योहार की आड़ में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता/रंजिश वस घटना कारित की जा सकती है इस पर विशेष नजर रखी जाए। शरारती/अराजकतत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही सुनिशचित की जाए। सर्किल/थाना क्षेत्र में जहां भी जुलूस/कार्यक्रम हो तो उसकी वीडियोंग्राफी अवश्य की जाए। त्योहार के दृष्टिगत अवैध शराब के निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन एवं भण्डारन की कार्यवाही अवांछनीय तत्वों द्वारा काफी पैमाने पर की जा सकती है। ऐसे में भी थाना प्रभारी अपने–अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत अवैध शराब के निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन एवं भण्डारन पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें। पर्व के दृष्टिगत धार्मिक व्यक्तियों/धर्मगुरूओं/शान्ति समितियों के सदस्यों व कार्यक्रम/जुलूस के आयोजकों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली जाए तथा इनके द्वारा त्योहार से सम्बन्धित बतायी गयी समस्याओं का समय से निराकरण करा लिया जाए। महोदय द्वारा सभी क्षेत्राधिकारीगणों को निर्देशित किया गया कि अपने–अपने सर्किल के थानों का त्योहार रजिस्टर का अवलोकन कर विगत वर्षो में होली के अवसर पर हुए विवाद व हिंसक घटनाओं की सूची बनाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस वर्ष कोई विवाद/प्रकरण लम्बित न हो। होली जूलूस के मार्गो पर अधिक से अधिक पुलिस बल के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्व से फ्लैग मार्च व एरिया डामिनेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। महोदय द्वारा स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों को कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्रभारी मीडिया सेल को अपने निकट पर्यवेक्षण में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की

अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों को विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करन हेतु निर्देशित किया गया।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>